न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—94 / 2020 / 223 (2020 / 00094)

1. श्रीमती गुलाबी पत्नि स्व0 हीरा,
2. राधाकिशन पुत्र स्व0 हीरा,
3. ताराचन्द पुत्र स्व0 हीरा,
4. जगदीश पुत्र स्व0 हीरा,

समस्त जाति जाट, निवासी करांटी, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गुड्डी पुत्री गोपाल,
2. गोपाल पुत्र स्व0 रघुनाथ,

समस्त जाति जाट, निवासी करांटी, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

3. श्रीमती हेमा पुत्री गोपाल पत्नि शैतान, जाति जाट, निवासी करांटी, तह0 भिनाय हाल निवासी देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, भिनाय, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, दिनांक 13.12.2019 अंतर्गत वाद संख्या 19 / 2011.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी एवं श्री दिनेश कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री पुष्पेन्द्रसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

निर्णय

दिनांकः— 13.1.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादिया / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण / अपीलांटस एवं शेष रेस्पोडेंटस के वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम करांटी तहसील भिनाय स्थित आराजियात खाता संख्या नये 299 पुराने 34 कुल किता 42 कुल रकबा 11.66 है0 वादिया / रेस्पो0 संख्या 1 की पुश्तैनी खातेदारी की आराजियात है एवं वादिया / रेस्पो0 संख्या 1 तथा वर्तमान अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर उक्त आराजियात के सहखातेदार है । वादपत्र में सजरा अंकित किया गया जिसमें रघुनाथ की पुत्रियां एवं हीरा पुत्र रघुनाथ की पुत्रियों को नहीं दर्शाया गया तत्पश्चात् कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में वादिया / रेस्पो0 संख्या 1 के पिता गोपाल पुत्र रघुनाथ जो कि उक्त अपील में रेस्पो0 संख्या 2 है का हिस्सा निहित है

जिसके वारिसान में स्वंय पिता गोपाल तथा वादिया/रेस्पो0 संख्या 3 श्रीमती हेमा बराबर हिस्से के हकदार है । अंत में वादिया को उसके हिस्से का खातेदार घोषित करने का कथन किया एवं वादिया के हिस्से तक प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा करने का कथन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2019 द्वारा वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपूर्ण सजरा पेश किया गया था । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में श्रीमती नानी पुत्री रघुनाथ के वारिसान को एवं प्रेम पुत्री हीरा के वारिसान को तथा श्रीमती रामेश्वरी पुत्री हीरा को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि स्वंय वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना अंकित किया गया है जो उन्हें रघुनाथ से विरासत में प्राप्त होना बताया है जिसमें श्रीमती नानी तथा श्रीमती प्रेम के वारिसान एवं श्रीमती रामेश्वरी आवश्यक पक्षकार थी जिनके अभाव में धारा 211 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । स्वंय वादिया द्वारा वादपत्र के उनवान में अंकितानुसार बरवक्त प्रस्तुति वाद दिनांक 6.4.2011 को वादिया की उम्र 28 वर्ष अंकित की गई है जिसके अनुसार वादिया का जन्म 1983 में हुआ है एवं वादिया की बहन श्रीमती हेमा का जन्म सन् 1986 में हुआ । इस प्रकार दिनांक 9.9.2005 को बरवक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 में संशोधन वादिया 22 वर्ष एवं वादिया की बहन श्रीमती हेमा 19 वर्ष की थी जिससे स्पष्ट है कि दोनों बहनों का जन्म दिनांक 9.9.2005 के वर्षो पूर्व हो चुका है जबकि उक्त संशोधन के अनुसार वही पुत्रियां पिता के जीवनकाल में पुश्तैनी सम्पति में हिस्से बाबत् वाद प्रस्तुत कर सकती है जिनका जन्म दिनांक 9.9.2005 के पश्चात् हुआ हो अथवा दिनांक 20.12.2004 को उनकी माता द्वारा गर्भ धारण किया गया हो । अर्थात् वादिया का जन्म दिनांक 9.9.2005 से 22 वर्ष पूर्व हो चुका था जिससे पुश्तैनी सम्पति में पिता के जीवनकाल में वादिया को वाद प्रस्तुति का अधिकार नहीं है तथा वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 एवं धारा 6 में किए गए संशोधन के विपरीत होकर प्रथमदृष्टया संधारण योग्य नही था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि गोपा पुत्र रघुनाथ द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि बाबत् रामलाल पुत्र छोगा नायक के हक में दिनांक 5.6.2011 को 200,000/—रू0 में विक्रय का इकरारनामा निष्पादित किया गया था जिनमें से सांई पेटे 1,60,000/—रू0 स्वंय वादिया द्वारा प्राप्त किये गये थे जिससे उक्त इकरारनामे पर स्वंय वादिया के हस्ताक्षर है तत्पश्चात् वर्तमान अपीलांटस द्वारा पुनः रामलाल पुत्र छोगा नायक को 1,20,000/— रू0 देकर उक्त इकरारनामा निरस्त करवाया गया एवं इससे संबंधित न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 23/2011 विड्रो करवाया गया जिसकी पुष्टि स्वंय गोपाल पुत्र रघुनाथ एवं स्वंय रामलाल पुत्र छोगा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत् बयानात से होती है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । इकरारनामा बहक

रामलाल को निरस्त कराने का मुख्य कारण गोपाल द्वारा दिनांक 20.12. 2010 को वर्तमान अपीलांट संख्या 2 लगायत 4 के हक में वादग्रस्त भूमि बाबत् पंजीकृत हक त्यागनामा निष्पादित करवाना रहा, उक्त हक त्यागनामे के आधार पर अपीलांट संख्या 2 लगायत 4 के नाम नामांतकरण संख्या 686 दिनांक 10.1.2011 को तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया जा चुका था । वादग्रस्त भूमि पर वादिया का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही वादिया द्वारा पंजीकृत हक त्यागनामे को आज दिवस सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाया गया है । हक त्यागनामे को निरस्त कराये बिना वादिया को वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण संख्या 686 को वादिया द्वारा आज दिनांक निरस्त नहीं करवाया गया है तथा सभी सहदायिकों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण वादपत्र प्रस्तुत दृष्टया संधारण योग्य नहीं था तथा स्थायी निषेधाज्ञा की मियाद मात्र 3 वर्ष निर्धारित होने के कारण वादपत्र मियाद बाहर होने से काबिल निरस्तनीय है । गोपाल पुत्र रघुनाथ आज दिनांक वर्तमान अपीलांटस के पास ही निवास कर रहा है जिसकी सेवा सुश्रुषा चिकित्सा एवं जीविकोपार्जन इत्यादि का समस्त खर्च वर्तमान अपीलांटस ही वहन कर रहे है । वादिया अपने ससुराल ग्राम देराठू में निवास कर रही है । रामलाल पुत्र छोगा नायक जो वादिया की ओर से साक्षी के रूप में उपस्थित हुए के द्वारा स्वंय प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा कतई जारी नही की जा सकती थी । यही नहीं वादिया द्वारा बेदखली बाबत् कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया है फिर भी अधी0न्याया0 द्वारा अवैधानिक रूप से वादपत्र डिक्री कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है । वादिया ने अपने वादपत्र में असत्य कथन अंकित कर तथ्य छिपाते हुए वाद डिक्री कराया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1983 पेज 676, आर0बी0जे0 2020 पेज 16, डी0एन0जे0 2016 पेज 258 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2020 पेज 377 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2012 पेज 172 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2019 पेज 101 सुप्रीम कोर्ट एवं आर0आर0टी0 2008 पार्ट–1 पेज 825 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादपत्र में वर्णित आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है जिसमें स्व0 रघुनाथ के निधन के उपरांत वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादिया संख्या 8 को अवैधानिक रूप से खातेदार कृषक के अधिकार प्राप्त है तथा हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत एक हिन्दू पुत्री अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में अधिकार रखती है एवं विभाजन करा सकती है । प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो0 संख्या 2 गोपाल बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता एवं अधिकार के गैर कानूनी तरीके से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 के हक व अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए पुश्तैनी आराजियात को नहीं बेच सकते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 8 को वादिया के कब्जे काश्त में व्यवधान डालने का कोई हक व अधिकार नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत सजरे अनुसार विवादित भूमियों में जन्म से 1/6 हिस्से की अधिकारिणी है । बहस में आगे कथन किया कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष

गवाह पेश किये थे जिन्होंने विवादित आराजियात को पुश्तैनी होने का कथन कर विवादित आराजियात में वादिया का हिस्सेनुसार कब्जा काश्त होना बताया है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि विवादित आराजियात पर वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं है किया गया कथन गलत है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2009 पेज 810, ए0आई0आर0 1998 पेज 2276 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2017 2010 पेज 289, डी0एन0जे0 2009 (2) पेज 799, आर0आर0डी0 2004 पेज 19, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 117, आर0आर0डी0 2001 पेज 36 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा हकत्याग पत्र की फोटो प्रति दिनांक 20.12.2010 पेश की ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अपने अपील मीमों में अपीलाधीन भूमियां रघुनाथ की खातेदारी की आराजियात होने का कथन किया है जिसके अनुसार रघुनाथ के पत्नि श्रीमती भूरी एवं दो पुत्र हीरा व गोपाल तथा एक पुत्र नानी हुए जिसमें से पत्नि श्रीमती भूरी फौत हो चुकी है एवं एक पुत्र हीरा भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान श्रीमती गुलाब एवं तीन पुत्र क्रमशः राधाकिशन, ताराचंद व जगदीश है तथा दो पुत्रियां रामेश्वरी व प्रेम है । इसमें से एक पुत्री प्रेम का स्वर्गवास हो चुका है जिसका पति भंवरलाल जीवित है । इसी प्रकार रघुनाथ की पुत्री श्रीमती नानी का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान रामकिशन, गीता, ग्यारसी, रामेश्वर, रतन, साबू, सोराज व हंसराज है । परन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत सजरे में अपीलांट द्वारा बताये गये सजरे में अंकित वारिसान रामेश्वरी पुत्री हीरा एवं श्रीमती प्रेम के वारिसान भंवरलाल तथा 1/3 हिस्से की हिस्सेदार श्रीमती नानी के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि पुश्तैनी सम्पति होने के कारण उपरोक्त समस्त वारिसान का हक व हिस्सा होकर सहिस्सेदार है। अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 के निर्णय में अपीलाधीन भूमियां रघुनाथ पुत्र ज्वारा जाट की होना माना है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा रघुनाथ पुत्र ज्वारा के उपरोक्त सभी वारिसान को बिना पक्षकार बनाये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है जिसे यथावत् नहीं रखा जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार रघुनाथ पुत्र ज्वारा के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार कायम कर उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,